C.C.A.7.50

2

न्यायालय राजस्व मण्डी म.प्र. ग्वालियर

प्र.क्र. /95 अपील

RN II-41/A/131/95

क्रमांक..............................

श्री प्रदीप श्री श्रीवास्तव

अभिभाषक द्वारा आज दिनांक 10.2.95

को प्रस्तुत

10.2.95

क्लर्क ऑफ कोर्ट

राजस्व मण्डल म. प्र. ग्वालियर

10/2/95.

1. राजेन्द्र कुंमार नाबालिग
सरपरस्त प्रतापसिंह
2. राजकुमार नाबालिग
सरपरस्त किरतू
निवासीगण ग्राम मैहर तहसील व
जिला सागर, म.प्र. -- आवेदकगण

विरूद्ध

हरीचरण पुत्र बिहारी लाल
निवासी ग्राम मैहर तहसील व जिला
सागर {म0प्र0}

-- अनावेदक

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू.रा. संहिता 1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 20.10.94 द्वारा पारित अपर आयुक्त बन्दोबस्त ग्वालियर प्र.क्र. 8/अपील/93-94

माननीय महोदय,

आवेदकगण की निगरानी निम्न आधारों पर प्रस्तुत है:-

{1} यहकि, अधीनस्थ प्रथम अपीलीय न्यायालय का आदेश विधि व तथ्यों के विपरीत है परन्तु द्वितीय अपीलीय न्यायालय ने बदो. अधिकारी का आदेश स्थिर रखने में त्रुटि की है व अपने अधिकारों का सही रूप से प्रयोग नहीं किया है व विवादि आदेश पारित किया है।

{2} यहकि, बदो. अधिकारी द्वारा नाबालिग को सुनवाई का मौका नहीं दिया जिसे उनके हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है "जो गार्जियन एक्ट वार्डस एक्ट" की धारा 7 के प्रावधानों के विपरीत आदेश पारित किया है। जिस पर द्वितीय अपील न्यायालय द्वारा कोई विचार न कर विवादित पारित किया है।

...बोबस्त

# राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर
## अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 131 / 95 जिला –सागर

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एव अभिभाषकों आदि हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 4.2.14<br>समय दोपहर 12.00 बजे | आवेदक के अधिवक्ता श्री प्रदीप के श्रीवास्तव एवं आवेदक श्री राजेन्द्र कुमार निवासी मैहर तहसील व जिला सागर को आवाज लगवाई गई कोई उपस्थित नहीं ।<br>सदस्य | |
| समय दोपहर<br>3.00 बजें | प्रकरण पुनः 3.00 बजे प्रस्तुत ।<br>आवेदक के अधिवक्ता श्री प्रदीप के श्रीवास्तव एवं आवेदक श्री राजेन्द्र कुमार निवासी मैहर तहसील व जिला सागर को आवाज लगवाई गई कोई उपस्थित नहीं ।<br>सदस्य | |
| शाम 5.00 बजे | प्रकरण पुनः 5.00 बजे प्रस्तुत ।<br>आवेदक के अधिवक्ता श्री प्रदीप के श्रीवास्तव एवं आवेदक श्री राजेन्द्र कुमार निवासी मैहर तहसील व जिला सागर को आवाज लगवाई गई कोई उपस्थित नहीं । अनावेदक की ओर से श्री एस0के0 अवस्थी अधिवक्ता उपस्थित ।<br>अतः म0प्र0भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 35 (2) के अंतर्गत प्रकरण आवेदक अधिवक्ता एवं आवेदक के अनुपस्थित होने के कारण प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है ।<br>(अशोक शिवहरे )<br>सदस्य | |

बंदोबस्त